2017 का विधेयक संख्यांक 23

[दि हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स (रेग्युलेशन ऑफ फी) बिल, 2017 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

उच्च शैक्षणिक संस्थाएं (फीस का विनियमन) विधेयक, 2017

उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुगम बनाने की दृष्टि से उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में फीस के विनियमन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्च शैक्षणिक संस्थाएं (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2017 है।

(*2*) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य और विधान सभा वाली संघ राज्यक्षेत्र के मामले में राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, और अन्य मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''प्रति व्यक्ति फीस'' से किसी संस्था में पाठ्यक्रम फीस से अधिक किसी व्यक्ति के छात्र के रूप में प्रवेश हेतु किसी व्यक्ति द्वारा किसी संस्था के लिए संस्था की ओर से मांगी गई या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभारित या संगृहीत या संदत्त रकम अभिप्रेत है;

(ग) ''उच्च शिक्षा'' से वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् की शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) ''उच्च शैक्षणिक संस्था'' से अभिप्रेत है तकनीकी शैक्षणिक संस्था या चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था चाहे वह संस्था समुचित सरकार से सहायता न पाने वाली हो या सहायता पाने वाली हो या कोई ऐसी संस्था जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और समुचित कानूनी प्राधिकारी या विश्वविद्यालय से इस रूप में मान्यताप्राप्त है जैसाकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 में परिभाषित है और इसमें सम्मिलित है उस अधिनियम की धारा 3 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई संस्था, लेकिन इसमें सहायता न पाने वाली अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था शामिल नहीं है, जिसे विश्वविद्यालय समझा जाएगा;

(ङ) ''राष्ट्रीय समिति'' से धारा 4 के अधीन गठित उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में फीस के विनियमन के लिए राष्ट्रीय समिति अभिप्रेत है;

(च) ''माता-पिता'' से बालक की जन्मदाता या गोद लेने वाली माता या पिता अभिप्रेत है;

(छ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) ''वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा'' से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है; और

(झ) ''राज्य समिति'' से धारा 6 के अधीन गठित उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में फीस के विनियमन के लिए राज्य समिति अभिप्रेत है।

प्रतिव्यक्ति फीस प्रभारित करने पर प्रतिषेध।

3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई भी उच्च शैक्षणिक संस्था ऐसी संस्था में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार प्रतिव्यक्ति फीस प्रभारित नहीं करेगी।

उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में फीस के विनियमन के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन।

4. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में फीस के विनियमन के लिए राष्ट्रीय समिति के नाम से एक समिति का गठन करेगी।

(*2*) राष्ट्रीय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी —

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय समिति का सभापति होगा;

(ख) सदस्यों के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीआई), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् (डीसीआई), फॉर्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी), बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी (सीसीएच),सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसन (सीसीआईएम), काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल (डीईसी), रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर रूरल इंस्टिट्यूट्स (एनसीआरआई) और राज्य उच्च शिक्षा परिषदों से एक-एक प्रतिनिधि;

(ग) सदस्य के रूप में एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और एक सांख्यिकीविद। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाए, नियुक्ति की जाएगी।

(*3*) राष्ट्रीय समिति के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और वे पुन:नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(*4*) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

राष्ट्रीय समिति के कृत्य।

5. राष्ट्रीय समिति—

(क) उच्च शैक्षणिक संस्था द्वारा चलाए जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रभारित की जाले वाली फीस विहित करेगी;

(ख) उच्च शैक्षणिक संस्था द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए लागत-शुल्क विश्लेषण के आधार पर 'युक्तियुक्त अधिशेष' और 'लाभ निरपेक्ष' के सिद्धांत की परिभाषा करेगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाने वाले अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी।

राज्य समिति का गठन।

6.(*1*) **प्रत्येक राज्य इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर तथा संबंधित राज्य उच्च शिक्षा बोर्डों के साथ परामर्श करके राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में फीस के विनियमन के लिए राज्य समिति के नाम से एक राज्य समिति का गठन करेगी।**

(*2*) राज्य समिति, राज्य उच्च शैक्षणिक बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाए, नियुक्त किए जाने वाले अध्यापक, माता-पिता, छात्रों से मिलकर बनेगी।

7. राज्य समिति—

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि राज्यों के भीतर उच्च शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया फीस ढांचा धारा 5 के अधीन राष्ट्रीय समिति द्वारा यथा परिभाषित 'युक्तियुक्त अधिशेष' और 'लाभनिरपेक्ष' के सिद्धांतों के अनुरूप हो; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी।

उच्च शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा फीस ढांचा तैयार किया जाना।

8. प्रत्येक उच्च शैक्षणिक संस्था, धारा 5 के अंतर्गत राष्ट्रीय समिति द्वारा यथापरिभाषित 'युक्तियुक्त अधिशेष' और 'लाभनिरपेक्ष' के सिद्धांतों के अनुकूल उसके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए अपना फीस ढांचा तैयार करेगी।

अधिनियम की सहायता न पाने वाली अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू न होना।

9. इस अधिनियम के उपबंध सहायता न पाने वाली अल्पसंख्यक उच्च शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

शास्ति।

10. कोई उच्च शैक्षणिक संस्थ जो इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भी प्ररूप और रीति से फीस या दान की मांग करती है या उसे स्वीकार करती है तो जुर्माने से जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा लेकिन बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडित होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक निधियां प्रदान किया जाना।

11. केन्द्रीय सरकार इस संबंध में विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को अपेक्षित धनराशि प्रदान करेगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा।

12. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम की अन्य विधियों की अनुपूर्ति करना।

13. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

14. (*1*) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन या उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी या निष्प्रभावी होगा। किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत विश्व के कुछेक चुनिंदा देशों में से एक है जिसकी कार्मिक संख्या तुलनात्मक रूप से कम उम्र की है। इस जनसांख्यिकीय विशिष्टता का फायदा उठाने के लिए अपने युवाजन पर निवेश करके उन्हें और अधिक लाभकारी बनाए जाने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा प्रदान करना तथा उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त कौशल एक विकासशील राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। मुनाफाखोरी के मकसद से किए जाने वाले उच्च शिक्षा के वाणिज्यीकरण को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में फीस के विनियमन के पक्ष में विनिश्चय किया है। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में फीस का विनियमन करने से संबंधित कोई भी कदम उच्च शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने में बढ़ावा देगा।

टीएमए पाई प्रतिष्ठान बनाम कर्नाटक राज्य (2002) मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि सहायता न पाने वाली निजी संस्थाओं द्वारा प्रभारित शुल्कों को 'युक्तियुक्त अधिशेष' के लिए अनुमति देते हुए मुनाफाखोरी रोकने के लिए राज्य द्वारा सीमित किया जा सकता है।

वर्ष 2003 में इस्लामिक अकादमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2003) मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि शैक्षणिक संस्थाएं अपना फीस ढांचा स्वयं तैयार कर सकती हैं तथा निधियों का आवश्यक रूप से छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए और शैक्षिणिक संस्थाओं की प्रगति को आगे बढ़ाने हेतु इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तर्ज़ पर कुछेक राज्यों ने उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के फीस ढांचे की निगरानी करने के लिए समितियों का गठन किया था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फीस की सीमा के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए कोई रूपरेखा तथा 'युक्तियुक्त अधिशेष' और 'मुनाफाखोरी' पदबन्धों की कोई परिभाषा नहीं है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में फीस के विनियमन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करना है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
2 जनवरी, 2017
12 पौष, 1938 (शक)

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4 में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में फीस के विनियमन के लिए राष्ट्रीय समिति की स्थापना किए जाने का उपबंध है। इसमें एक अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद की राष्ट्रीय समिति में नियुक्ति का भी उपबंध है। खण्ड 6 में संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य समिति की स्थापना किए जाने का उपबंध है। खण्ड 11 में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने का उपबंध है। अत: इस विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर भारत की संचित निधि में से प्रति वर्ष पच्चीस करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर प्रति वर्ष लगभग दस करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 14 में केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरे से संबंधित होंगे अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुगम बनाने की दृष्टि से उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में फीस के विनियमन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—4714LS(S3)—28-02-2017.